

मतदाता पहचान पत्र को 'आधार' से जोड़ना: महत्त्व और संबद्ध मुद्दे

यह एडिटरियल 23/12/2021 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Why the Electoral Reforms Bill is a Problem" लेख पर आधारित है। इसमें नरिवाचक नामावली डेटा एवं मतदाता पहचान पत्र को आधार पारितंत्र से लकि करने के उद्देश्य से लागू चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021 और इससे संबद्ध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

हाल ही में चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021 लोकसभा में पारित किया गया जो नरिवाचक नामावली डेटा (Electoral Roll Data) और मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Cards) को आधार (Aadhaar) जोड़ने का प्रयास करता है।

यह वधियक मतदाता सूची के 'डी-डुप्लीकेशन' यानी एक से अधिक बार नामांकन की समाप्त सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। लेकिन इस वधियक में कई दोष मौजूद हैं।

लोकसभा में वधियक को इसके पेश किये जाने के दिनि ही पारित कर लिया गया। यह न केवल संसदीय लोकतंत्र के मूल आधार को कमजोर करता है, बल्कि नरिवाचति प्रतिनिधियों को कसी मुद्दे पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के अवसर से भी वंचित करता है।

संसदीय लोकतंत्र को उसके वास्तविक अर्थ में संरक्षित करने के लिये बेहतर संसदीय नगरानी के साथ-साथ नरिवाचति प्रतिनिधियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। सार्थक बहस की अनुमति देने और व्यापक परामर्श को आमंत्रित करने की अनच्छि समस्याग्रस्त अधिनियमन के प्रगतशील पहलुओं को भी पूर्ववत कर सकती है।

चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021

■ प्रमुख विशेषताएँ:

- यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, ताकि नरिवाचक नामावली डेटा को आधार पारितंत्र से संबद्ध किया जा सके।
- इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्तिके एकाधिक नामांकन को रोकना है।
- पंजीकरण के लिये 'सेवा मतदाताओं की पत्नियों' (Wives of Service Voters) शब्दावली के बदले अब 'जीवन साथी' (Spouse) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
- वधियक में वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिये पूर्व की एक तिथि (1 जनवरी) के बजाय चार क्वालफाइंग तिथियों (जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर माह का पहला दिनि) का प्रस्ताव है, जसि दिनि 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्तिको इसमें शामिल किया जा सकता है।

■ महत्त्व:

- मतदाता पहचान के साथ आधार डेटा को जोड़ने से दूरस्थ मतदान की अनुमति मिलेगी, जो प्रवासी मतदाताओं के अनुकूल होगा।
- आधार लकिंग को फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मददगार माना जा रहा है।
- भाषा में 'पत्नियों' को 'जीवन साथी' से बदलने से कानून और अधिक 'लिंग-तटस्थ' हो जाएंगे।

संबद्ध चिंताएँ

- **केंद्र सरकार के पास अंतिम अधिकार:** आधार प्रस्तुत कर सकने में 'अक्षमता' के मामले में मतदाता सूची में कसी व्यक्तिके प्रवेश या बने रहने की अनुमति देने का अंतिम अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, जो आवश्यकत शर्तों के नरिधारण की शक्ति रखेगी।
 - इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि मतदाता के मतदाता सूची में बने रहने के लिये कौन से कारण/शर्त स्वीकार्य हैं।
- **उत्तरदायित्व का हस्तांतरण:** सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा सक्रिय रूप से मतदाता सूची में लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के बजाय, उत्तरदायित्व या बोझ अब व्यक्तियों के ऊपर स्थानांतरित हो गया है जो नरिवाचक नामावली में बने रहने के लिये अपने आधार को लकि करने के मामले में असमर्थ या अनच्छि हो सकते हैं।

- इसके अलावा, यह किसी प्रकरियात्मक सुरक्षा उपायों के बिना मतदाता सूची से वलियोपन को अवसर देगा, क्योंकि वर्तमान में कानून इस तरह के वलियोपन से पहले सुनवाई का अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- **नजिता संबंधी चिंताएँ:** वर्तमान में चुनावी डेटा को भारत नरिवाचन आयोग (ECI) द्वारा अपने डेटाबेस में रखा जाता है और यह अन्य सरकारी डेटाबेस से पृथक होता है।
 - आधार और चुनाव संबंधी डेटाबेस के बीच प्रस्तावति लकिंज ECI और UIDAI को डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे नागरिकों की नजिता का हनन हो सकता है।
 - वैध मतदाताओं को आधार वविरण जमा करने की उनकी अनचिछा/अकषमता के आधार पर मताधिकार से वंचति कर दिया जा सकता है।
- **लाभार्थी मतदाताओं की पहचान:** इस संशोधन के परणामस्वरूप 'पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग' की स्थिति बनेगी। मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़े जाने पर सरकार के लिये वैसे किसी भी मतदाता को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा है, जिसने अपने आधार का उपयोग कर कल्याणकारी सब्सिडी और लाभ प्राप्त किये हैं।
 - सार्वजनिक रूप से अनुपलब्ध ऐसी सूचनाओं का उपयोग फरि राजनीतिक दलों द्वारा अपने संदेशों को वशिष्ट मतदाताओं को लक्षति करने के लिये कया जा सकता है।

आगे की राह

- **वधायी प्रकरियाओं में सुधार:** सरकार को किसी भी नए प्रावधान को लागू करने से पहले जनता की राय आमंत्रति करनी चाहिये और गहन संसदीय जाँच की अनुमति प्रदान करनी चाहिये।
 - भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि केवल आम नागरिकों बल्कि नरिवाचति प्रतनिधियों को भी उनके अधिकारों और अवसरों से वंचति न कया जाए।
 - किसी प्रस्तावति वधियक पर एक उत्पादक बहस आवश्यक है ताकि उसके महत्त्व पर चर्चा के साथ-साथ उससे संबद्ध चिंताओं की पहचान और उन्हें संबोधति करने के उपायों पर वचिार कया जा सके।
- **डी-डुप्लीकेशन को समाप्त करने के वैकल्पिक तरीके:** मतदाताओं के एक से अधिक नरिवाचन कषेत्रों में पंजीकृत होने या गैर-नागरिकों के नामांकन जैसी समस्याएँ वास्तविक रूप से मौजूद हैं, लेकिन इन समस्याओं को अन्य पहचान प्रकरियाओं द्वारा संबोधति कया जा सकता है।
 - वस्तुतः आधार डेटाबेस मतदाता पहचान को सत्यापति करने के लिये अप्रासंगिक भी सदिध हो सकता है क्योंकि यह नवासियों का पहचानकर्त्ता है न कि नागरिकों का।
- **व्यापक वधिन की आवश्यकता:** एक दोष-मुक्त मतदाता सूची स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव की अनविर्य शर्त है। सरकार को एक व्यापक वधियक लेकर आना चाहिये ताकि संसद में उस पर उपयुक्त रूप से बहस की जा सके।
 - इसके साथ ही, वधियक में यह नरिदषिट कया जाना चाहिये कि दोनों डेटाबेस के बीच डेटा साझा करने की सीमा क्या होगी, सहमति प्राप्त करने के कौन से तरीके उपयोग कये जाएंगे और डेटाबेस को जोड़ने के लिये सहमतिको रद्द कया जा सकता है या नहीं।
- **नागरिकों की नजिता सुनशिचति करना:** आधार-मतदाता पहचान पत्र एकीकरण को आगे बढ़ाने से पहले सरकार को व्यक्तगित डेटा संरक्षण (PDP) कानून का प्रवर्तन सुनशिचति करना चाहिये।
 - PDP तंत्र सरकारी संस्थाओं के ऊपर भी लागू होना चाहिये जहाँ उनके लिये वभिनिन सरकारी संस्थानों के बीच डेटा की साझेदारी से पहले किसी व्यक्त की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना आवश्यक हो।

अभ्यास प्रश्न: "सारथक बहस की अनुमति देने और व्यापक परामर्श को आमंत्रति करने की अनचिछा समस्याग्रस्त कानून के प्रगतशील पहलुओं को भी पूर्ववत कर सकती है।" चुनाव कानून (संशोधन) वधियक, 2021 के संदर्भ में इस कथन पर टपिपणी कीजिये।